कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
(कक्ष – सूचना प्रौद्योगिकी)
अपर बेसमेंट, सतपुड़ा भवन, भोपाल
दूरभाषः 0755-2674302, 2674327 ई-मेल-apccfit@mp.gov.in

क्रमांक / सू.प्रौ. / 2019 / 139 भोपाल, दिनांक 21/02/19

प्रति,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
   समस्त, म.प्र. भोपाल
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
   समस्त, म.प्र. भोपाल
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक
   क्षेत्रीय / अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी
4. समस्त कार्य आयोजना अधिकारी
5. समस्त वन मण्डलाधिकारी
   क्षेत्रीय / उत्पादन वन मण्डल

विषयः– वन विभाग में इलेक्ट्रोनिक टेंडरिंग लागू करने के लिये अपलोड व्यवस्था हेतु अधिकृत अधिकारी बावत।

उपरोक्त विषयांतर्गत इलेक्ट्रोनिक टेंडरिंग व्यवस्था से संबद्ध होने के लिये वन विभाग द्वारा On-Boarding की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। निविदा (टेण्डर) अपलोड करने एवं खोलने के लिये Class-3 डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है एवं इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा दिनांक 2.1.2019 को Class-3 डिजिटल हस्ताक्षर क्रय करने के संबंध में पत्र भी जारी किया गया था। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

2. निविदा अपलोड करने के लिये 4 अधिकारियों की आवश्यकता होती है तथा इनमें से न्यूनतम 2 अधिकारी निविदा खोलने के लिये आवश्यक होते है। क्षेत्रीय अधिकारियों के स्थानांतरण होने की स्थिति में उपरोक्त 4 अधिकारी पृथक-पृथक दायित्वों एवं स्थानों पर पदस्थ होने चाहिये अन्यथा निविदा को अपलोड करने के बाद निविदा खोलने के समय अधिकारी उपस्थित नहीं होने पर संपूर्ण कार्यवाही निरर्थक हो जावेगी। अतः इस संबंध में निम्नानुसार स्थायी व्यवस्था निर्धारित की जाती है:–

(i) वन मण्डल स्तर से निविदा जारी होने पर संबंधित वन मण्डल के वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल के उप वन मण्डलाधिकारी, संबंधित वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्यालय की निविदा से संबंधित शाखा के मनोनीत अधिकारी।

(ii) वृत्त स्तरीय निविदाओं के मामलों में वृत्त के मुख्य वन संरक्षक, वृत्त मुख्यालय के वन गण्डलाधिकारी, वृत्त कार्यालय के संलग्न अधिकारी सहायक वन संरक्षक तथा निविदा से मुख्यालय की संबंधित शाखा के मनोनीत अधिकारी।

(iii) मुख्यालय स्तर से जारी की जाने वाली निविदाओं के मामलों में मुख्यालय की संबंधित शाखा के 2 अधिकारी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) तथा मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय, भोपाल वृत्त। यदि वित्त/बजट शाखा द्वारा बजट आबंटित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा नामांकित एक अन्य अधिकारी।

अतः तत्संबंध में निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय की सभी शाखायें मनोनीत अधिकारी का नामांकन करें एवं इसकी सूचना सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध करायें। यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित शाखा से आशय उस शाखा से है जिसके द्वारा बजट आवंटन किया गया हो।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार पत्र की छाया प्रति।

20/2/19

(जे. के. मोहन्ती)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
मध्यप्रदेश, भोपाल

(18)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक शाखा–सूचना प्रौद्योगिकी

वन विभाग, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

दूरभाष: 0755-2674327 ई.मेल: appccfit@mp.gov.in
फैक्स : 0755-2555480 वेबसाईट: www.mpforest.gov.in

क्रमांक / 93 भोपाल, दिनांक 02/01/19

प्रति,

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय भोपाल, म.प्र.
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय भोपाल, म.प्र.
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) वृत्त, म.प्र.
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक (टाईगर रिजर्व), म.प्र.
5. समस्त मुख्य वन संरक्षक, (अनुसंधान एवं विस्तार) वृत्त, म.प्र.
6. समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक, कार्य आयोजना, म.प्र.
7. समस्त वन संरक्षक / वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय / उत्पादन, म.प्र.
8. समस्त संचालक / प्राचार्य, वन विद्यालय, म.प्र.

विषय : इलेक्ट्रॉनिक टेण्डरिंग के लिये क्लास 3 डिजिटल हस्ताक्षर क्रय करने बावत्।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा शासकीय क्रय के लिये इलेक्ट्रॉनिक टेण्डरिंग को अनिवार्य किया गया है। विभाग द्वारा सभी क्षेत्रीय एवं मुख्यालय के कार्यालयों को इलेक्ट्रॉनिक टेण्डरिंग के लिये ऑनबोर्ड करने का प्रस्ताव नोडल एजेन्सी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को प्रेषित किया गया है, तथा शीघ्र ही यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड आपको उपलब्ध हो जायेंगे। इलेक्ट्रॉनिक टेण्डरिंग पोर्टल में निविदा चढ़ाने एवं खोलने के लिये डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

अनुरोध है कि कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाईग अथॉरिटी जिनकी वेबसाइट http://www.cca.gov.in/cca/?q=licensed_ca.html पर दर्ज लाईसेंस शुदा सर्टिफाईग अथॉरिटी (सी.ए.) में किसी एक सी.ए. से निम्नानुसार क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर क्रय :–

1. सिग्नेचर ई–टोकन के साथ क्रय करें। यदि पूर्व में शाखा द्वारा प्रदायित ई–टोकन उपलब्ध है तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है। किन्तु इसमें से पूर्व में इनस्टॉल किया गया सर्टिफिकेट हटाया जाये। इसके बाद ही नया सिग्नेचर इनस्टॉल किया जाये।
2. आपके मार्गदर्शन के लिये लाईसेंस शुदा सी.ए. की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। क्रय ऑन–लाईन अथवा सी.ए. के स्थानीय डीलर से किया जा सकता है।

3. लाईसेंस की अवधि 2 वर्ष होना चाहिये। टोकन एवं सिग्नेचर का पासवर्ड अपने पास सुरक्षित रखें अन्यथा इसका दुरूपयोग होने की स्थिति में अधिकारी दायित्वाधीन होगें क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार सिग्नेचरधारी मुकर नहीं सकते हैं।
4. स्थानीय रूप से क्रय नियमों का पालन कर क्रय करें। शाखा द्वारा की गई तहकीकात में यह विदित हुआ कि सभी करों सहित रू. 2000 में उक्त स्पेसिफिकेशन का डिजिटल सिग्नेचर भोपाल में क्रय किया जा सकता है।

अनुरोध है कि उक्त स्पेसिफिकेशन अनुसार कृपया क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर तत्काल क्रय करें।

(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(सूचना प्रौद्योगिकी), म.प्र.

पृ.क्रमांक / 04 भोपाल, दिनांक : 02/01/18

प्रतिलिपि :–

1. वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(सूचना प्रौद्योगिकी), म.प्र.

Licensed CAs

Safescrypt
IDRBT
GNFC
e Mudhra CA
CDAC CA
Capricorn CA
NSDL e-Gov CA
Indain Air Force
Verasys CA
CA Services Overview

Licensed CA's

Home » Licensed CAs

Licensed CAs

Disclosure Record of Safescrypt CA

Disclosure Record of iTrust CA (IDRBT)

Disclosure Record of (n)Code Solutions CA

Disclosure Record of e-Mudhra CA

Disclosure Record of CDAC CA

Disclosure Record of NSDL e-Gov CA

Disclosure Record of Capricorn CA

Disclosure Records of Verasys CA

Indian Air Force